उपरोक्तानुसार भूमि ग्राम बासां तह बेरला बेरला भूमि खसरा नं 84/2 तहसील बेरला जिला बेमेतरा स्थित भूमि ख0न0 84/2 पर स्थित कुल 107 नग सागौन वृक्षो को निम्नशर्तो के तहत् कटाई हेतु अनुमति दिया जाता है।

शर्ते :–

1.आवेदक उक्त 107 नग वृक्षों की कटाई के पूर्व काटे जाने वाले वृक्ष की यदि उम्र–10 वर्ष से कम है, तो प्रति वृक्ष पर न्यनतम 10 वृक्ष एवं अधिक उम्र वाले वृक्ष है, तो उसकी प्रति वृक्ष आयु की संख्या में वृक्ष सुरक्षित स्थान में लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा इन वृक्षों की सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय आवेदक द्वारा किया जावेंगा एवं उक्त लगाये गये वृक्षों के रख–रखाव एवं उनको जीवित रखने का दायित्व भी आवेदक का ही होगा अथवा प्रत्येक वृक्ष 150.00 रू. के मान से प्रस्तावित वृक्षों की दूगनी संख्या की राशि संबंधित ग्राम पंचायत में जमा कराया जावें।

2.राजस्व एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया जावेगा तथा प्रश्नाधीन मार्ग पर प्रभावित वृक्षों को वन विभाग बेमेतरा के माध्यम से कटाई परिवहन एवं बिक्री कराई जावेगी। वृक्ष कटाई सवे लेकर वन विभाग के डिपो में रखने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही का विडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करायी जावें।

3.वन मण्डलाधिकारी बेमेतरा वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक परिवहन करते हुए निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग बेमेतरा के निर्धारित खाते में जमा की जाएगी। जमा राशि से प्रत्येक काटे जाने वाले वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण किया जाएगा। वन विभाग बेमेतरा द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से कलेक्टर को दी जायेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेरला, जिला बेमेतरा

बेरला दिनांक 20/01/2025

पृ.क्रमांक /606/ अ0वि0अ0/2025
प्रतिलिपिः–
1. वन मण्डलाधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
बेरला, जिला बेमेतरा

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बेरला, जिला-बेमेतरा